न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 35/2019

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1रामरतन विश्नोई पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी गांव कुचौर अगुणी पो. नापासर तहसील नोखा जिला बीकानेर। फर्म–मैसर्स विष्णु मावा भण्डार, फलौदी बस स्टेण्ड, नागौर। 2गंगाविशन विश्नोई पुत्र मनफूल जाति विश्नोई निवासी गांव काकडा पो. प तहसील नोखा जिला बीकानेर। फर्म–मैसर्स विष्णु मावा भण्डार, फलौदी बस स्टेण्ड, नागौर।

आदेश दिनांक :04.03.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 19-03-2019 को मैसर्स विष्णु मावा भण्डार, फलौदी बस स्टेण्ड, नागौर पर खाद्य पदार्थ मावा में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1124 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस / 297 / एक्ट / 2019 / 358 दिनांक 12.04.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मावा सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त रामरतन विश्नोई पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी गांव कुचौर अगुणी पो. नापासर तहसील नोखा जिला बीकानेर तथा गंगाविशन विश्नोई पुत्र मनफूल जाति विश्नोई निवासी गांव काकडा पो. प तहसील नोखा जिला बीकानेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 08-08-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब दिनांक 04.03.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से मावे का सैंपल लिया गया। जो जांच रिपोर्ट मे सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। मै मावा दूसरी जगह से खरीद कर लाता हूँ। मुझे ध्यान नही रहा। भविष्य मे मै ऐसी गलती नही करूंगा। कृपया करके कम से कम जुर्माना करने की कृपा करे।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 297 / एक्ट / 2019 / 358 दिनांक 12.04.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 रामरतन विश्नोई पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी गांव कुचौर अगुणी पो. नापासर तहसील नोखा जिला बीकानेर एवं अप्रार्थी सं. 2 गंगाविशन विश्नोई पुत्र मनफूल जाति विश्नोई निवासी गांव काकडा पो. प तहसील नोखा जिला बीकानेर पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000 / – अक्षरे रूपये बीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)

अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

नागौर